संख्या- 60/2020/2710/33-3-2020-100(5)/2020

प्रेषक,

गिरिजेश कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 17 दिसम्बर, 2020**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-81 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस-2 के अन्तर्गत राज्य स्तर से केन्द्रांश व राज्यांश क्रमश: रू. 160.30 लाख व रू. 106.87 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू. 267.17 लाख अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 के पत्र संख्या-5/1420/2020-5/90/2020-एस.बी.एम.(जी.)-फेस-।। दिनांक 09.11.2020 द्वारा किए गए अनुरोध के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस-2 के अन्तर्गत राज्य स्तर से केन्द्रांश व राज्यांश क्रमश: रू. 160.30 लाख व रू. 106.87 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू. 267.17 लाख (रू. दो करोड़ सरसठ लाख सत्रह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) निदेशक, पंचायती राज उ0प्र0 द्वारा धनराशि का व्यय, भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) फेस-2 योजनान्तर्गत निर्गत गाइडलाइन/दिशा-निर्देश के अनुसार किया जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का आहरण परियोजनावार किया जायेगा तथा अग्रिम वित्तीय स्वीकृति प्रस्तावित करते समय परियोजनावार लागत, उसके सापेक्ष स्वीकृत धनराशि, व्यय धनराशि, प्राप्त वित्तीय भौतिक प्रगति का विवरण तालिकावार प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) आकड़ों की शुद्धता व विभिन्न घटकों में भारत सरकार के पत्र संख्या-एस.12011/4/2020-एस.बी.एम.-डी.डी.डब्लू.एस. दिनांक 29.10.2020 में अंकित निर्देशों के अनुसार धनराशि के आहरण/व्यय के अनुपालन का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 का होगा।

(4) प्रश्नगत प्रस्ताव का परीक्षण बजट की उपलब्धता के आधार पर किया गया है। प्रश्नगत धनराशि की स्वीकृति किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में किया जायेगा। निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 द्वारा इस बात का ध्यान रखा जायेगा कि कार्यदायी संस्था के पास दो माह की आवश्यकता से अधिक धनराशि न हो।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(6) धनराशि का आहरण एवं व्यय योजना विषयक गाइडलाइन/दिशा-निर्देश तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा स्वीकृत की गयी धनराशि के विरूद्ध निर्धारित लक्ष्यों के प्राप्त होने व उसके परीक्षण/सत्यापन का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 का होगा।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत आहरण/व्यय तथा निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 का होगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वस्तुतः जिन कार्यों/योजनाओं हेतु अवमुक्त की जा रही है, उन्हीं मदों में इसका व्यय अनुमन्य होगा। अन्य किसी मद में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(9) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर यदि किसी ऐसे खाते में रखा जाता है जिसमें ब्याज अर्जित होता है, तो अर्जित ब्याज को निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराने का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 का होगा।

(10) स्वीकृत की जा रही धनराशि से सामग्री आदि के क्रय हेतु सामग्री क्रय संबंधी संगत शासनादेशों में निर्धारित क्रय प्रक्रिया/व्यवस्थाओं का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(11) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष में सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) धनराशि के आहरण/व्यय के सम्बन्ध में मितव्ययिता संबंधी समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों एवं अन्य वित्तीय नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(13) स्वीकृत की धनराशि के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149-दस-2020-231/2020, दिनांक 24.03.2020 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संगत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था के अनुपालन का दायित्व निदेशक, पंचायतीराज उ0प्र0 का होगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0स0-ई-2-907/X-2020 दिनांक-16.12.2020 में प्राप्त सहमति के क्रम में निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

(गिरिजेश कुमार)
अनु सचिव।

संख्या तथा दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।

2- प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन।

3- मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) उ0प्र0 को उनके पत्र संख्या-5/1420/2020-5/90/2020-एस.बी.एम.(जी.)-फेस-।। दिनांक 09.11.2020 के क्रम में।

4- समस्त जनपदों के जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी उ0प्र0।

5- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- एन0आई0सी0 की प्रति।

7- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3/वित्त(बजट) अनुभाग-2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8- बजट प्रकोष्ठ /कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजेश कुमार)

अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।